न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतन लाल योगी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 42/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. चन्दनसिंह पुत्र स्व.श्री दाऊलाल जाति-माली, निवासी-सिद्धनाथ रोड़, सागरी कृषि फार्म, तख्तसागर के पास, जोधपुर		1. उच्छबसिंह पुत्र स्व.श्री दाऊलाल, जाति माली, निवासी दाऊजी की पोल,सुथला जोधपुर 2. श्रीमती इन्द्रा कच्छवाहा पुत्री स्व.श्री दाऊलाल पत्नि स्व. श्री दुर्गसिंह कच्छवाह, निवासी अमरसिंह मार्ग, बंगला नं.8, नागौरी गेट जोधपुर 3. श्रीमती चन्द्रा सांखला पुत्री स्व.श्री दाऊलाल पत्नि स्व. श्री चन्द्रसिंह सांखला निवासी-सांखलों का बास, मगरा पूंजला जोधपुर 4. श्रीमती अनिता पुत्री स्व.श्री दाऊलाल पत्नि महेन्द्रकुमार चौहान, निवासी सैनिक गली, मेड़ती गेट, जोधपुर 5. श्रीमती प्रमिला पुत्री स्व.श्री दाऊलाल पत्नि श्री जवाहर कच्छवाह जाति माली, नि0दाऊजी की पोल, सुथला जोधपुर 6. रिषभ पुत्र स्व.दिनेश कुमार, जाति माली निवासी- दाऊजी की पोल, सुथला जोधपुर 7. विपाशा पुत्री स्व.दिनेश कुमार, जाति माली निवासी- दाऊजी की पोल, सुथला जोधपुर 8. शिवांगी पुत्री स्व.दिनेश कुमार, जाति माली निवासी- दाऊजी की पोल, सुथला जोधपुर 9. राजेन्द्र बाहेती पुत्र श्री जेठमल, जाति माहेश्वरी निवासी-नेहरू पार्क, जोधपुर 10. जसवन्तसिंह इन्दा पुत्र श्री मोहब्बतसिंह, जाति राजपूत निवासी-701 आशापूर्णा टावर ए रोड़ पावटा, जोधपुर 11. अर्जुनसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी-ग्राम उचियारड़ा, तहसील व जिला जोधपुर 12. संजीव गहलोत पुत्र शंकरसिंह जाति माली निवासी रणवीर भवन, 9वी,चौपासनी रोड, जोधपुर 13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 26.05.2023 द्वारा तहसीलदार जोधपुर वसीयतनामा की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1039 ग्राम गेंवा का स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः-
1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाकाराम चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री के.एन.प्रजापत व श्रीमती वन्दना उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 10, 11 व 12 बा... अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.05.22 16:40:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

निर्णय

दिनांकः 21.05.2024

अपीलान्ट श्री चन्दनसिंह पुत्र स्व.श्री दाऊलाल जाति माली, निवासी सिद्धनाथ रोड़, सागरी कृषि फार्म, तख्तसागर के पास, जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट उच्छबसिंह पुत्र स्व.श्री दाऊलाल जाति-माली, निवासी दाऊजी की पोल, सुथला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 26.05.2023 को वसीयतनामा की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1039 ग्राम गेंवा को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 8 तक की सहखातेदारी की पैतृक कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 956 रकबा 9 बीघा, खसरा संख्या 961 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 963 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 964 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 967 रकबा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 968 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरान 6 कुल रकबा 38 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम गेंवा तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। उक्त पैतृक खातेदारी भूमि पूर्व में स्व.श्री दाउलाल के नाम से खातेदारी में दर्ज रही। दाउलाल के फौत होने पर विरासत के रूप में उक्त भूमि में से अपीलान्ट की माता स्व.श्रीमती ओमादेवी पत्नि स्व.श्री दाउलाल का 6/9 हिस्सा है तथा अपीलान्ट संख्या 1 का 1/9 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7 व 8 का 1/9 हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज है। ओमादेवी को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 द्वारा अपना पैतृक भूमि से प्राप्त 1/9 हिस्सा जरिये हकतर्कनामा द्वारा हकतर्क कर दिया गया, जिससे पैतृक भूमि में ओमादेवी का 6/9 हिस्सा बना तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की माता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 की दादी ओमादेवी का स्वर्गवास दिनांक 09.12.2022 को हो गया। स्व.ओमादेवी पत्नि स्व.दाउलाल द्वारा अपनी पैतृक सहखातेदारी भूमि के संबंध में चार अलग अलग वसीयतनामें निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाये गये। स्व.ओमादेवी द्वारा दो वसीयतनामें दिनांक 21.11.2017 को निष्पादित किये गये, जिसमें प्रथम ओमादेवी बहक ललित को उपपंजीयक प्रथम जोधपुर के यहां पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 15 पृष्ठ संख्या 58 क्रम संख्या 20173053300346 पर पंजीबद्ध एवं द्वितीय दिनांक 21.11.2017 को ओमादेवी बहक उच्छबसिंह व अन्य को पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 15 पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 201703053300347 पर पंजीबद्ध करवाया गया था। इसके बाद स्व.ओमादेवी द्वारा अपनी तीसरा वसीयतनामा दिनांक 26.08.2021 को ओमादेवी बहक उच्छबसिंह व अन्य दिनांक 26.08.2021 को पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 95 में पृष्ठ संख्या 155 क्रम संख्या 2021051300354 पर पंजीबद्ध किया गया इस वसीयतनामें में दिनांक 21.11.2017 को निष्पादित वसीयतनामा पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 15 पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 201703053300347 ओमादेवी बहक उच्छबसिंह व अन्य निरस्त किया गया उसके बाद स्व.ओमादेवी ने अपने जीवनकाल की चौथी वसीयत दिनांक 17.11.2022 को निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया उक्त वसीयतनामा ओमादेवी बहक चन्दनसिंह व ऋषभ को उपपंजीयक प्रथम में दिनांक 17.11.2022 को पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 97 में पृष्ठ संख्या 132 क्रम संख्या 202203051300252 पर पंजीबद्ध किया गया उक्त वसीयतनामें में स्व.ओमादेवी द्वारा अपने निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 21.11.2017 ओमादेवी बहक ललित जो उपपंजीयक प्रथम पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 15 पृष्ठ संख्या 58 क्रम संख्या 20173053300346 पर पंजीबद्ध है, को निरस्त किया गया इसके साथ ही ओमादेवी द्वारा निष्पादित चौथी वसीयत ओमादेवी बहक चन्दनसिंह व ऋषभ में वसीयतनामा के पृष्ठ संख्या 4 पर यह इबारत लिखी गई कि ''दिनांक 21.11.2017 को निष्पादित वसीयत को मेरे द्वारा आज इस वसीयतनामा निष्पादन के साथ ही निरस्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yadav
Date: 2024.05.22 16:40:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जा रहा है तथा अब मेरी उक्त कृषि भूमि के संबंध में मेरा यह प्रथम एवं आखिरी वसीयतनामा है, इसके आलावा अन्य कोई वसीयतनामा हुआ या पाया गया तो वह इस वसीयतनामा के आधार पर शून्य व बेअसर माना व समझा जावेगा।'' उक्त इबारत ओमादेवी की अन्तिम इबारत है इसमें यह ही नहीं लिखा कि दिनांक 26.08.2021 की वसीयत फोर्स में रहेगी फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक व छह द्वारा ओमादेवी के दिनांक 09.12.2022 को फौत होने के बाद दिनांक 25.04.2023 को वसीयतनामा दिनांक 26.08.2021 की एवं दिनांक 17.11.2022 की पालना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पर अपीलान्ट द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2023 को प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसील कार्यालय आदेश क्रमांक भू.अ./22/2092 दिनांक 04.05.2023 को हल्का पटवारी गेंवा को भेजा गया उक्त आपत्ति एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन को बिना कोई जांच किये व बिना सुने एवं वसीयत पालना पर आपत्ति होते हुए भी वसीयत के प्रकरण को बिना दर्ज किये हल्का पटवारी द्वारा सीधा ही नामान्तकरण संख्या 1039 दिनांक 11.05.2023 को भरा गया जिस पर भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दिनांक 15.05.2023 को मिलान किया गया एवं सही पाया गया एवं तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 26.05.2023 को स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर तहसीलदार जोधपुर द्वारा वसीयतनामें का नामान्तरकरण संख्या 1039 दिनांक 26.05.2023 स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल करने, वसीयत के प्रकरण को 135(2) में दर्ज किये बिना, आपत्तियों पर सुनवाई व जांच किये बिना सीधे ही नामान्तरकरण स्वीकृत करने, तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलान्ट के हक व अधिकारों का हनन करते हुए एवं ओमादेवी द्वारा निष्पादित अन्तिम वसीयत दिनांक 17.11.2022 को अनदेखा करते हुए मृतक की अन्तिम इच्छा के विपरित जाकर उक्त नामान्तरकरण पारित करने, वसीयतनामा दिनांक 17.11.2022 के द्वारा रजि0 वसीयतनामा दिनांक 26.08.2021 स्वतः ही शून्य हो जाने के बावजूद तहसीलदार जोधपुर द्वारा वसीयत दिनांक 26.08.2021 की पालना में पैतृक सहखातेदारी कृषि भूमि की विरासत के उचित हकदारों के साथ घोर अन्याय करते हुए नामान्तकरण स्वीकार करने, भू-अभिलेख निरीक्षक जोधपुर द्वारा वसीयतनामा के तहत भरे गये नामान्तरकरण पर दिनांक 11.05.2023 को अंकित टिप्पणी भूमि स्वअर्जित है या नहीं व वसीयत के अन्तिम होने संबंधी विस्तृत टिप्पणी करने हेतु लिखने पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त टिप्पणी को अनदेखा करते हुए दो वसीयतनामें की एक साथ पालना करते हुए उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने आदि आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 26.05.2023 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1039 ग्राम गेंवा को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाकाराम चौधरी ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वसीयत पर आपत्तियों की भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) पर सुनवाई नही की गयी तथा इसके अलावा अन्तिम वसीयत की पालना नहीं की गयी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 26.05.2023 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1039 ग्राम गेंवा को निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार जोधपुर को रिमाण्ड किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 से 08 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपनी बहस में बताया कि खातेदार ओमादेवी ने अपने हिस्से की 25.10 बीघा कृषि भूमि में से दिनांक 21.11.2017 को 02 बीघा भूमि [illegible] तथा दिनांक 21.11.2017 को ही 9.14 बीघा भूमि उच्छबसिंह, चन्दनसिंह व [illegible] को अलग-अलग वसीयत की थी। इसके बाद ओमादेवी ने दिनांक 26.08.2021 को [illegible] उच्छबसिंह को, 1.10 बीघा चन्दनसिंह को व 1.10 बीघा [illegible] करते हुए इसी में उन्होने दिनांक 21.11.2017 की कुल 9.14 बीघा भूमि की व[illegible]त को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.05.22 16:40:48 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

ओमादेवी ने दिनांक 17.11.2022 को 02 बीघा भूमि चन्दनसिंह व ऋषभ के नाम वसीयत करते हुए इसी में उन्होने दिनांक 21.11.17 की 02 बीघा भूमि की वसीयत निरस्त कर दी। इस प्रकार वर्तमान में 25.10 बीघा में से 20.4 बीघा भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है बाकी 5.9 बीघा भूमि ओमादेवी के खाते में दर्ज है जिसका निष्पादन अपीलान्ट को करवाने का अधिकार शेष है। अत: रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 1039 ग्राम गेवां को यथावत रखने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट संख्या 09 की ओर से अधिवक्ता श्री के.एन.प्रजापत ने अपनी बहस में बताया कि 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि बेचान की जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा भूमि बेचान की गयी है। बेचान की गयी भूमि पर खरीदकर्ता का भी ध्यान रखते हुए आदेश पारित किया जावे। अत: अपील अपीलान्ट अस्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 1039 ग्राम गेवां को यथावत रखने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन विचारण करने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंचते है कि वसीयतकर्ता ओमादेवी की अन्तिम दो पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 26.05.2023 को नामान्तरकरण संख्या 1039 ग्राम गेवां स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण में दर्ज भूमि वसीयतकर्ता ओमादेवी के पति से अर्जित भूमि है। उक्त अपील में अपीलान्ट द्वारा वसीयतकर्ता ओमादेवी द्वारा पूर्व में बेचान की गयी भूमि के खरीदकर्ताओं को भी पक्षकारान बनाया गया है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा वसीयतकर्ता ओमादेवी की वसीयत के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व वसीयत के प्रकरण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) में दर्ज कर आपत्तियों पर सुनवाई करने के पश्चात् ही उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए था, किन्तु तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व वसीयत के प्रकरण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत विधिवत सुनवाई नहीं की गयी है। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए दिनांक 26.05.2023 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1039 ग्राम गेवां को निरस्त किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि वसीयत के प्रकरण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) में विवादग्रस्त आराजी से जुड़े हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

(रतन लाल योगी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.05.22 16:40:48 IST
Reason: SelfAttested